रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022021-225468
CG-DL-E-25022021-225468

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 2021/फाल्गुन 5, 1942
No. 85] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 2021/PHALGUNA 5, 1942

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2021

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी)

(प्रथम संशोधन) विनियम, 2021

फा. सं. अनुमोदन ब्यूरो/अभातशिप/विनियम/2020 (प्रथम संशोधन, 2021).—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 और धारा 11 के साथ पठित धारा 23 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फाईल संख्या : अनुमोदन ब्यूरो/अभातशिप/विनियम/2020 दिनांक 04 फरवरी, 2020 के द्वारा राजपत्र अधिसूचना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2020 में संशोधन करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) निम्नलिखित विनियम बनाती है :–

संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ :

1. इन विनियमों का नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 है।
2. ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
3. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2020 को (इसके पश्चात् इन्हें मुख्य विनियम कहा जाएगा) संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्डों से प्रतिस्थापित किया जाता है :

- खण्ड 1.2 को संशोधित किया जाता है तथा निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :
    - खण्ड 1.2(छ) को निम्नानुसार पढा जाए :

"एक ही न्यास/सोसायटी/कंपनी द्वारा एक ही परिसर/शहर में चलाई जा रही संस्थाओं का विलय करना" ;

- खण्ड 1.2(झ) को निरस्त किया जाता है :
- खण्ड 1.2(ञ) को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

"विदेशी राष्ट्रिक/भारत के प्रवासी नागरिकों (ओसीआई)/खाड़ी देशों मे कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों हेतु अधिसंख्य सीटों को आरंभ करना/जारी रखना;"

- खण्ड 1.2(ण) को निरस्त किया जाता है :
- खण्ड 1.2(त) को निरस्त किया जाता है :
- खण्ड 1.2(थ) को निरस्त किया जाता है :
- खण्ड 1.2(य) को निम्नानुसार पढा जाए :

"मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम रीति द्वारा पाठ्यक्रम/ऑनलाईन शिक्षण रीति से पाठ्यक्रमों को आरम्भ करना/पाठ्यक्रमों के अनुमोदन में विस्तार/पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि/मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा रीति से पाठ्यक्रमों में नए पाठ्यक्रम आरंभ करना/बन्द करना; तथा"

- खण्ड 1.4 को संशोधित किया जाता है तथा निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :

"भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सीए संख्या 364/2005 में दिनांक 08.11.2019 को पारित किए गए आदेश के अनुपालन में, वास्तुकला कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विद्यमान संस्थानों को वास्तुकला परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है तथा अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 की ट्रान्सफर पेटिशन (सिविल) संख्या 87–101 में दिनांक 05.03.2020 को पारित किए गए आदेश के अनुपालन में, भेषजी कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विद्यमान संस्थानों हेतु भारतीय भेषजी परिषद् (पीसीआई) से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है तथा अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं हैं।

अभातशिप अधिनियम के अनुसार सरकारी तथा निजी राज्य विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए भी अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। तथापि, कुछ विश्वविद्यालय अभातशिप की योजनाओं, पहलों का लाभ प्राप्त करने के लिए अभातशिप की विद्यमान नीतियों/मानदण्डों के अनुसार अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त कर रहे हैं। तद्नुसार इच्छुक वास्तुकला/भेषजी संस्थान अभातशिप के अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि, आवेदन की तिथि को उनके पास वास्तुकला परिषद् (सीओए)/भारतीय भेषजी परिषद् (पीसीआई) का वैध अनुमोदन होना चाहिए"।

- खण्ड 2.22 (ख) को निरस्त किया जाता है :
- खण्ड 2.22(ग) को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

2.22(ग) "आयोजना कार्यक्रम के डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री पाठ्यक्रमों में अधिकतम चालीस (40) सीटों का बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं" ;

- खण्ड 2.22(छ) को निरस्त किया जाता है :
- खण्ड 2.22 (झ) को निरस्त किया जाता है :
- खण्ड 2.28 को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

2.28 "विदेशी राष्ट्रिक" से अभिप्रेत है भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के नागरिक, जो भारतीय मूल के नहीं हैं, जैसाकि ओसीआई के अधीन परिभाषित है।

- खण्ड 2.37 को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

2.37 ''मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.)'' /ऑनलाईन अधिगम (ओएल) रीति से अभिप्रेत एक ऐसी मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति (ओ.डी.एल.) पद्धति जो एक व्यवहारिक एवं प्रायोगिक कार्य (हैंडस ऑन वर्क) अनुभव सहित एक संस्था के द्वारा शिक्षार्थी सहायता सेवाओं के माध्यम से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, एमओओसीएस (मूक्स), ऑनलाइन और यदा–कदा आमने–सामने संपर्क बैठकें आयोजित करने का अवसर उपलब्ध कराने के साथ अनेकानेक मीडिया का उपयोग कर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की खाई को पाटकर लचीली ज्ञान अर्जन सेवाएं उपलब्ध करवाना है।

- खण्ड 2.53 को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

2.53 "अधिसंख्य सीटों" जिनमें टीएफडब्ल्यू, ओसीआई/विदेशी राष्ट्रिक/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए, पार्श्विक प्रवेश, पीडब्ल्यूडी तथा जम्मू एवं कश्मीर के लिए पीएमएसएसएस तथा किन्ही अन्य सीटों के लिए समय–समय पर अधिसूचित किए गए अनुसार सीटें शामिल होंगी जो "अनुमोदित प्रवेशक्षमता" की सीमा से अधिक होंगी।

- खण्ड 3.1 (क) को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

  3.1 (क) नई तकनीकी संस्थाएं (वास्तुकला एवं भेषजी को छोड़कर), चाहे वे सरकारी/सरकार द्वारा सहायताप्राप्त अथवा स्व–वित्तपोषित हों, केवल परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही आरंभ की जाएंगी।

- खण्ड 3.1 (छ) को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

  3.1 (छ) विद्यमान स्टैण्डअलोन संस्थाएं/मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं केवल परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा रीति/ऑनलाईन शिक्षण रीति से या तो पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित करेंगी/उनकी प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कटौती करेंगी अथवा किसी भी स्तर पर नए पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को प्रारंभ करेंगी।

- खण्ड 3.2 (ख) को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

  खण्ड 3.2 (ख) उभरते नवीन क्षेत्रों/बहुविधाओं वाले क्षेत्रों में माईनर डिग्री/ऑनर्स डिग्री सहित स्नातकपूर्व डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए समय–समय पर अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार अनुमति दी जाएगी।

- खण्ड 3.2(ग) को निरस्त किया जाता है :

- मुख्य विनियम के खण्ड 4.1(क), 4.2 एवं 6.6(ड़) को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

  "मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं "एमएचआरडी" को ''शिक्षा मंत्रालय (एमओई)'' पढ़ा जाए

- मुख्य विनियम के खण्ड 4.3 को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

  "अभातशिप तकनीकी शिक्षा में दूरस्थ रीति से अथवा ऑनलाइन रीति से संचालित किए गए कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों) को मान्यता नही देती है, सिवाए प्रबंधन, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, यात्रा और पर्यटन, एआई एवं डाटा विज्ञान तथा लॉजिस्टिक कार्यक्रमों के"।

- मुख्य विनियम के खण्ड 4.6 को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

  4.6(क) "अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं और विश्वविद्यालय विभागों में विदेशी राष्ट्रिक/भारतीय प्रवासी नागरिक (ओसीआई)/खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों को प्रवेश देने के लिए प्रति पाठ्यक्रम 'अनुमोदित प्रवेश–क्षमता' के अतिरिक्त पन्द्रह प्रतिशत (15 प्रतिशत) अधिसंख्यक सीटें अनुमोदित की जाएंगी। इन 15 प्रतिशत सीटों का एक–तिहाई (1/3) खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों के लिए आरक्षित होगा।

  किसी निश्चित पाठ्यक्रम में खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों के लिए आरक्षित 1/3 सीटों में से रिक्त सीटें ओसीआई/विदेशी राष्ट्रिकों के लिए आरक्षित दो–तिहाई सीटों को और इसके विपर्यय लौटाई जाएंगी। इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के प्रवेश के अंतिम चक्र के उपरांत ''विदेशी राष्ट्रिकों/भारत के प्रवासी नागरिकों (ओसीआई) / खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों'' में से रिक्त रही कोई सीट, एनआरआई के लिए अभातशिप के अनुमोदन तथा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित मानदण्डों की पूर्ति के अध्यधीन एनआरआई सीटों से भरी जा सकेंगी।

  इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के प्रवेश के अंतिम चक्र के उपरांत 'अनुमोदित प्रवेशक्षमता' में रिक्त रही कोई सीट उक्त सीटों के लिए अभातशिप के अनुमोदन तथा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित मानदण्डों की पूर्ति के अध्यधीन एनआरआई/विदेशी राष्ट्रिकों/भारत के प्रवासी नागरिकों (ओसीआई)/खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों से भरी जा सकेंगी।

  4.6(ख) परिषद् एनआरआई/ओसीआई/एफएन/खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों की सीटों को प्रारंभ करने/जारी रखने की सहमति केवल नियमित पाली के पाठ्यक्रमों के लिए ही प्रदान करेगी।

- खण्ड 4.7(ख) को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

  4.7(ख) "इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में स्नातकपूर्व डिग्री पाठ्यक्रमों में पार्श्विक प्रवेश 'अनुमोदित प्रवेशक्षमता' के अधिकतम 10 प्रतिशत तक अनुमेय होगा, जो 'अनुमोदित प्रवेशक्षमता' की अधिसंख्य सीटों और अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथानिर्दिष्ट प्रथम वर्ष की भरी न गई रिक्तियों के अतिरिक्त होगा जैसाकि अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किया गया है।

- खण्ड 4.7(च) को निरस्त किया जाता है :

- खण्ड 4.13 को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है

4.13 परिषद् एक ही संस्था में विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा संबद्धता प्राप्त अन्य पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के साथ पीजीडीएम/पीजीसीएम पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति नहीं देगी।

आगे यह भी कि, तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए अभातशिप का अनुमोदन प्राप्त करने के इच्छुक विश्वविद्यालयों के लिए अभातशिप के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी तकनीकी कार्यक्रम(ओं)/पाठ्यक्रम(मों) के लिए अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आंशिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि यह नोट किया जाता है कि विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय इस खण्ड का उल्लंधन करते हुए आंशिक अनुमोदन प्राप्त करते है तो उसका समस्त अनुमोदन वापस ले लिया जाएगा तथा दाण्डिक कार्रवाई की जाएगी।

- खण्ड 4.14 (प्रथम पैरा) को संशोधित किया जाता है तथा निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैं :

4.14 सामान्य तौर पर, शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया या तो किसी कक्षा में 'आमने–सामने' के तरीके से नियमित रीति से अथवा प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, मूक्स, ऑनलाईन माध्यमों का प्रयोग करते हुए और यदा–कदा आमने–सामने संपर्क बैठकें आयोजित करते हुए लचीला शिक्षण प्रदान करते हुए 'मुक्त और दूरस्थ शिक्षण (ओडीएल)/ऑनलाईन शिक्षण' के तरीके से संचालित की जाएगी।

- खण्ड 4.16 को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

4.16 कोई संस्था अभातशिप (स्वयं के माध्यम से आनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क) विनियम, 2016 और समय–समय पर यथा संशोधित के अनुसार 'स्वयं' के माध्यम से प्रदान किए गए ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों द्वारा किसी सेमेस्टर में किसी कार्यक्रम–विशेष में संचालित किए जाने वाले कुल पाठ्यक्रमों के 40 प्रतिशत तक की ही अनुमति दे सकेगी।

- खण्ड 5.6(क) को संशोधित किया जाता है तथा निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैं :

नई संस्था स्थापित करने के लिए आवेदक अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए विशिष्ट यूजर आईडी प्राप्त करेगा।

आवेदक/विद्यमान संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे इन विनियमों के खंड 1.2 में सूचीबद्ध मामलों के लिए वेब–पोर्टल पर अभातशिप के भुगतान गेटवे के माध्यम से अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किए गए विहित टीईआर प्रभारों को संप्रेषित करके उन्हें आबंटित विशिष्ट यूजर आईडी का प्रयोग करते हुए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र (डी.एस.सी.) के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें, जिसके न किए जाने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

- मुख्य विनियम के खण्ड 6.2 को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

6.2 नई तकनीकी संस्था की स्थापना के लिए

क. राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र तथा संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड आवेदन प्रस्तुत करने की यथाअधिसूचित अंतिम तारीख से एक सप्ताह के भीतर (नोट लेटर देन वन वीक) संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को इन विनियमों के खंड 1.2 (क) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर अपनी राय अग्रेषित करेगा।

राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र/संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड से आवेदन पर राय प्राप्त न होने पर परिषद् उसका आगे प्रक्रमण प्रारंभ करेगी।

ख. इन विनियमों के खंड 1.2 (क) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रक्रमण अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट सघंटन के अनुसार क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से गठित संवीक्षा समिति/पुनःसंवीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा।

ग. संवीक्षा/पुनः संवीक्षा स्तर पर "कोई कमी नहीं" (नील डेफीसियंशी) के मामले में, अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट संघटन अनुसार क्षेत्रीय अधिकारी एक विशेषज्ञ दौरा समिति का गठन करेंगे तथा वह संस्था की ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता का भौतिक/ऑनलाइन सत्यापन करेगी।

घ. विशेषज्ञ दौरा समिति की सिफारिश अनुशंसा के लिए क्षेत्रीय समिति के समक्ष रखी जांएगी तथा इसे अनुमोदन अथवा अन्यथा के लिए आगे कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा जाएगा।

ड. क्षेत्रीय समिति की अनुशंसाओं को कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखने के लिए अभातशिप के अनुमोदन ब्यूरो को अग्रेषित करते समय संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी यह सत्यापित करेगा कि इन विनियमों तथा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं और मापदण्डों का अनुपालन संवीक्षा/पुनः संवीक्षा समिति तथा विशेषज्ञ दौरा समिति (यथालागू) और क्षेत्रीय समिति द्वारा कर लिया गया है।

अभातशिप का अनुमोदन ब्यूरो भी यह सत्यापित करेगा कि इन विनियमों तथा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं और मापदण्डों का अनुपालन संवीक्षा/पुनः संवीक्षा समिति तथा विशेषज्ञ दौरा समिति (यथालागू) और क्षेत्रीय समिति द्वारा कर लिया गया है।

च. कार्यकारिणी समिति का निर्णय अनुमोदन पत्र (एलओए) अथवा आवेदन को अस्वीकृत करने के लिए विशिष्ट कारणों के साथ अस्वीकृति पत्र (एलओआर) के रूप में वेब–पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

छ. सरकारी/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं के अलावा नई तकनीकी संस्थाएं आरंभ करने के लिए आवेदकों को, जिनके आवेदन कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन पत्र (एलओए) के लिए अनुशंसित कर दिए गए हैं, प्रतिभूति निक्षेप (सिक्योरिटी डिपोजिट) सृजित करने के लिए सूचित किया जाएगा।

विद्यमान संस्थान (अन्य विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित संस्थाओं), जो अनुमोदन के लिए परिषद् को पहली बार आवेदन कर रही हैं तथा 10 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है, को प्रतिभूति जमा के भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर एक शपथ–पत्र के साथ प्रतिभूति जमा के भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, अन्यथा कैलेंडर वर्ष की क्रमशः 31 मई एवं 31 जुलाई तक प्रतिभूति जमा के मूल्य के 10% एवं 50% की शास्ति अधिरोपित की जाएगी, जिसके उपरांत अनुमोदन वापस ले लिया जाएगा।

ज. तकनीकी संस्था द्वारा अभातशिप के पास सृजित कराई गई ऑनलाइन प्रतिभूति जमा की राशि को 10 वर्ष की अवधि के पश्चात् अथवा कार्यक्रम/संस्था को बंद किए जाने के मामले में वापस लिए जाने की अनुमति होगी बशर्ते कि प्रसंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं। प्रतिभूति जमा पर उद्भूत ब्याज परिषद् को क्रेडिट किया जाएगा तथा उसका उपयोग अभाशिप द्वारा संकाय के लिए संस्थागत विकास गतिविधियों, संकाय हेतु गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम तथा छात्रों को छात्रवृत्तियां, आदि प्रदान करने के लिए किया जाएगा। तथापि, सन्नियमों, शर्तों और अपेक्षाओं के उल्लंघन और/अथवा संस्था द्वारा गैर–निष्पादन और/अथवा संस्था के विरूद्ध शिकायत के मामले में प्रतिभूति जमा की अवधि को मामला–दर–मामला आधार पर यथानिर्णित अवधि–तक आगे बढ़ाया जा सकेगा और/अथवा जब्त किया जा सकेगा।

झ. नई तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन–पत्र (एलओए) 'यदि जारी किया गया है' – की वैधता अनुमोदन–पत्र के जारी किए जाने की तारीख से दो शैक्षणिक वर्षों के लिए केवल संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने और वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए होगी।

सभी आवेदक जिन्हें नई तकनीकी संस्था आरंभ करने के लिए एलओए जारी किए गए हैं, छात्रों के प्रवेश अथवा अन्य पर विचार किए बिना, आगामी शैक्षणिक वर्ष के बाद से अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथाविनिर्दिष्ट अनुमोदन के विस्तार के लिए अभातशिप वेब–पोर्टल पर आवेदन करेंगे।

दो शैक्षणिक वर्षों की वैधता की समाप्ति पर, जारी अनुमोदन पत्र (एलओए) स्वतः ही रद्द हो जाएगा, यदि संस्थान में कोई छात्र प्रवेशित नही हुआ था तथा आवेदक अनुमोदन पत्र (एलओए) पुनः जारी करने के लिए नया आवेदन करेगा।

ञ. नई संस्थाएं, जिन्हें अनुमोदन–पत्र प्रदान किया गया है तथा विद्यमान संस्थाएं जिन्हें नए पाठ्यक्रम(मों), प्रभाग(गों), कार्यक्रम(मों) को आरंभ करने, प्रवेश–क्षमता में परिवर्तन करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, यथास्थिति, परिषद् की नीति के अनुसार संकाय और प्राचार्य/निदेशक की नियुक्ति जैसा भी मामला हो, का अनुपालन करेंगी।

अल्पसंख्यक संस्थाओं के अलावा अन्य संस्थाएं संकाय/प्राचार्य/निदेशक तथा अन्य तकनीकी सहायक कर्मचारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति कड़ाई के साथ संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की पद्धतियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप करेंगी विशेष रूप से चयन प्रक्रियाओं और चयन समितियों के मामले में।

कर्मचारियों की इन नियुक्तियों के बारे में जानकारी विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अभातशिप के वेब–पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

ट. अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट मानदंडो की पूर्ति को सत्यापित करने के लिए छात्रों के पहले बैच के उत्तीर्ण होने से पहले किसी भी समय एक विशेषज्ञ दौरा समिति का संचालन किया जा सकता है।

ठ. सभी ऑनलाईन आवेदन (अनुलग्नकों सहित) डिजिटल हस्ताक्षर करके, जहाँ भी जागू हो (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र का उपयोग करते हुए) सार्वजनिक सूचना/अभातशिप वेब–साईट पर अधिसूचित अंतिम तिथि को अथवा उससे पहले अभातशिप के वेब–पोर्टल पर जमा किए जाने चाहिए।

सभी संवीक्षा समिति/पुनः संविक्षा समिति एवं विशेषज्ञ दौरा समिति ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी। अन्य विशेष परिस्थितियों में (माननीय न्यायालय के निर्देशों सहित) संवीक्षा समिति/पुनः संविक्षा समिति एवं विशेषज्ञ दौरा समिति का संचालन भौतिक माध्यम (ऑफलाइन मोड) से भी किया जाएगा। पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए संवीक्षा समिति/पुनः संविक्षा समिति एवं विशेषज्ञ दौरा समिति की सभी कार्यवाही दर्ज की जाएगी।

- मुख्य विनियम के खण्ड 6.3 (च) को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

6.3 (च) कोई संस्था नए पाठ्यक्रम(मों)/विद्यमान पाठ्यक्रम(मों) के विस्तार के लिए वैध एनबीए प्रत्यायित पाठ्यक्रम(मों) की संख्या के समान संख्या के लिए पात्र होंगे, जो प्रभाग/कार्यक्रम/स्तर की परिभाषा के अधीन अधिकतम चार तक सीमित होगी।

इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री स्तर में प्रवेशक्षमता में वृद्धि/अतिरिक्त पाठ्यक्रम में वृद्धि केवल उभरते हुए नवीन (एमरजिंग) विषयक्षेत्रों/बहुविधाओं वाले विषय–क्षेत्रों में अनुमेय होगी।

- मुख्य विनियम के खण्ड 6.3 (ञ) को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

  6.3 (ञ) ऐसी विद्यमान संस्थाएं जिनकी कुल "अनुमोदित प्रवेशक्षमता" "अधिकतम अनुमेय प्रवेशक्षमता" से अधिक है वे समान कार्यक्रम (डिप्लोमा/स्नातकपूर्व/एमसीए/प्रबंधन) में समान स्तर में प्रवेश–क्षमता में वृद्धि/अतिरिक्त पाठ्यक्रम(मों) (एनबीए प्रत्यायन के बिना) के लिए अनुमोदन का आशय रखने वाली संस्थाओं को प्रक्रिया के अनुसार पाठ्यक्रम(मों) को बंद करने के लिए आवेदन करना होगा तथा वे उसके स्थान पर प्रवेश–क्षमता में वृद्धि/अतिरिक्त पाठ्यक्रम(मों) के लिए आवेदन करेंगे तथापि, इसमें अभातशिप वेब–पोर्टल पर स्व–प्रकटन के आधार पर 'शून्य कमी' के अध्याधीन, अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथानिर्दिष्ट कुल 'अनुमोदित प्रवेशक्षमता'/अधिकतक अनुमेय प्रवेश–क्षमता और पाठ्यक्रमों/प्रभागों की संख्या से अधिक नहीं होगी। इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री स्तर मे प्रवेश–क्षमता में वृद्धि/अतिरिक्त पाठ्यक्रम केवल उभरते हुए नवीन (एमरजिंग) विषयक्षेत्रों/बहुविधाओं वाले विषय–क्षेत्रों में ही अनुमेय होगी।

  आगे यह कि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार, ऐसी संस्थाएं जिनके पास प्रत्यायन प्राप्त कार्यक्रम हैं उन्हें उनके अनुसार प्रत्यायित कार्यक्रमों में भारतीय भाषाओं में अतिरिक्त प्रभागों (30 अथवा 60 सीट) के लिए अनुमति दी जाएगी जो प्रत्येक प्रत्यायित कार्यक्रम के लिए नवीन उभरते विषय–क्षेत्रों/बहुविधाओं वाले विषय–क्षेत्रों के लिए विस्तार की सुविधा से अधिसंख्य होगी।

- खण्ड 6.3(ठ) को निरस्त किया जाता है :

- मुख्य विनियम के खण्ड 6.6 (ख) को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

  6.6 (ख) विश्वविद्यालय इन विनियमों के खंड 1.2 में अन्य श्रेणियों के लिए भी आवेदन प्रस्तुत करेंगे। अपेक्षाएं, पात्रता और प्रक्रिया अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के संबंधित खंडों के अनुसार होगी। तथापि, श्रेणी–I/II विश्वविद्यालयों के लिए ओसीआई/विदेशी राष्ट्रिकों/खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों के लिए अधिसंख्य सीटों को प्रारंभ करने के लिए विशेषज्ञ दौरा समिति से छूट दी जाएगी।

- मुख्य विनियम के खण्ड 6.6 (घ) को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

  6.6 (घ) परिषद् द्वारा अनुमोदित तकनीकी कार्यक्रम(मों) का संचालन करने वाले मानित विश्वविद्यालय संस्थान, जो यूजीसी द्वारा घोषित श्रेणी–I और II के अंतर्गत आते हैं, उन्हें उभरते हुए नवीन विषय–क्षेत्रों (एमरजिंग एरिया)/बहुविधाओं वाले विषय–क्षेत्रों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश–क्षमता में वृद्धि करने/नए पाठ्यक्रम(मों) के लिए अभातशिप को आवेदन करना होगा। अभातशिप उन पाठ्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान करेगा। तथापि, ऐसे विश्वविद्यालयों को अभातशिप वेब–पोर्टल में वार्षिक आधार पर आँकड़ों को अद्यतन बनाना होगा तथा अभातशिप द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार सन्नियमों एवं मानकों का अनुपालन भी करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष इस आशय से सम्बन्धित शपथ–पत्र (एफिडेविट) अभातशिप को एवं यूजीसी को प्रस्तुत करेंगे। यदि सन्नियमों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो अभातशिप विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेगा तथा उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए इसे यूजीसी को सूचित करेगा। मानित विश्वविद्यालय संस्था के मामले में, अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथानिर्दिष्ट कार्रवाई शूरू की जाएगी और यूजीसी को सूचित किया जाएगा।

- मुख्य विनियम के खण्ड 6.7 को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

  6.7 मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम/ऑनलाइन अधिगम रीति से शिक्षण

  मुक्त और दूरस्थ रीति/ऑनलाइन रीति से पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए स्टैंड–अलोन संस्थाओं/मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का प्रक्रमण अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट सन्नियमों और मानको एवं समय–समय पर अभातशिप/यूजीसी द्वारा इस विषय पर जारी किए गए विनियमों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा, संस्थाएं पाठ्यक्रमों के अनुमोदन में विस्तार/पाठयक्रमों में अनुमोदित प्रवेश–क्षमता में वृद्धि एवं मुक्त और दूरस्थ शिक्षा रीति/ऑनलाइन शिक्षण रीति से नए पाठ्यक्रम शुरू करने/पाठ्यक्रम बन्द करने के लिए प्रत्येक वर्ष परिषद् को आवेदन प्रस्तुत करेंगी।

- मुख्य विनियम के खण्ड 6.10 को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

  6.10 परिषद् किसी संस्था को सामान्यतः कोई सशर्त अनुमोदन प्रदान नहीं करेगी।

- मुख्य विनियम के खण्ड 11.6 को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

  11.6 प्रत्येक संस्था के पास प्रत्येक छात्र और संकाय के कार्यों की निष्ठा की जाँच करने के लिए साहित्यिक चोरी रोधी (Plagiarism) साफ्टवेयर होना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समस्त विषय–वस्तु विशिष्ट (यूनीक) हो।

- मुख्य विनियम के खण्ड 17 को संशोधित किया जाता है तथा निम्न खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

17 कोई अन्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम चलाना (तकनीकी/गैर तकनीकी)

संस्थाएं, शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता किए बिना, किसी भी अन्य विनियामक निकाय के शैक्षणिक पाठ्यक्रम (तकनीकी/गैर तकनीकी) चला सकती हैं जिसके लिए वे संस्था में विद्यमान सुविधाओं का प्रयोग कर सकती हैं अथवा नई सुविधाएं सृजित कर सकती हैं, ऐसे पाठ्यक्रम अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका मे विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सम्बन्धित विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार, अभातशिप का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करके ही चलाए जा सकते हैं। तथापि, आवेदक संस्था नए कार्यक्रमों/स्तरों की अपेक्षाओं के अनुकूल भवन योजना, स्थल योजना इत्यादि में सम्बंधित सक्षम प्राधिकारी (यदि लागू है) द्वारा अनुमोदन किए गए अनुसार मैटिरियल/नोन मैटिरियल संशोधन कर सकती हैं।

संस्थान के पास कुल भूमि उसके द्वारा चलाए जा रहे कायक्रमों/स्तरों के लिए अपेक्षित उच्चतम कुल भूमि के अनुरूप होगी। तथापि, संस्थान के पास संचालित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों/स्तरों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त निर्मित क्षेत्र होना चाहिए।

यद्यपि संस्थान में खेल के मैदान के लिए पर्याप्त स्थान (स्वयं का अथवा किराए का) उपलब्ध कराया जाएगा। संस्थान छात्रों के लिए भवन के भीतर (इनडोर) और खुले मैदान वाले (आउटडोर) खेलों के लिए परिसर में या अन्य साथ लगे हुए संस्थानों, निगम के मैदानों, निजी सुविधाओं आदि से स्वामित्व/किराए पर लेकर भी यह सुविधा प्रदान कर सकेगा।

प्रो. राजीव कुमार, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./519/2020]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2021

All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) (1st Amendment) Regulations, 2021.

F. No. AB/AICTE/REG/2020 (1st Amendment, 2021).—In exercise of its powers conferred under sub-section (1) of Section 23 read with Section 10 and Section 11 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), All India Council for Technical Education (AICTE) makes the following Regulations to amend the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations, 2020 published vide F. No. AB/AICTE/REG/2020 dated 4th February 2020 in Gazette notification.

Short Title, Application and Commencement

1. These Regulations shall be called the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) (1st Amendment) Regulations, 2021
2. They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
3. All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for the Technical Institutions) Regulations, 2020 (herein after to be called the Principal Regulation) shall stand amended and substituted by the following Clauses:

- Clause 1.2 shall stand amended and substituted as under
  - Clause 1.2(g) may be read as :

    "Merger of Institutions under the same Trust/ Society/ Company operating in the same Campus/City"
  - Clause 1.2(i) to be repealed
  - Clause 1.2(j) to be read as :

    "Introduction/ Continuation of supernumerary seats for Foreign Nationals/ Overseas Citizen of India (OCI)/Children of Indian Workers in Gulf Countries;"
  - Clause 1.2(o) to be repealed
  - Clause 1.2(p) to be repealed

- Clause 1.2(q) to be repealed
- Clause 1.2(z) may be read as :

  "Introduction of Open and Distance Learning Courses/ Online Learning Courses/ Extension of Approval of the Courses/ Increase in Approved Intake in the Courses/ Introduction of New Courses/ Closure of Courses in Open and Distance Learning mode; and"

- Clause 1.4 shall stand amended and substituted as :

  In compliance of the order dated 08.11.2019 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in CA No.364/ 2005, for the existing Institutions offering Courses in Architecture programme, approval by the Council of Architecture is mandatory and **AICTE approval is NOT required.**

  In compliance of the order dated 05.03.2020 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Transfer Petitions (CIVIL) No 87-101 of 2014, for the existing institutions offering courses in Pharmacy programme, approval of PCI is mandatory and **AICTE approval is NOT required.**

  State Public & Private Universities and Central Universities are also not required to take AICTE approval as per AICTE Act. However, some of the Universities are seeking approval of AICTE for availing the benefits of AICTE schemes/initiatives as per the prevailing policies/norms. Accordingly, interested Architecture / Pharmacy Institutions may apply to AICTE for approval, provided, they are already having valid approval of CoA / PCI on the day of application.

- Clause 2.22 (b) to be repealed
- Clause 2.22 (c) shall stand amended and substituted by the following clause :

  2.22(c) "A batch of a maximum of Forty (40) seats in Diploma/ Under Graduate Degree Courses in Planning Programme, excluding supernumerary seats, if any;"

- Clause 2.22(g) to be repealed
- Clause 2.22(i) to be repealed
- Clause 2.28 shall stand amended and substituted by the following clause :

  2.28 "Foreign National" means the Citizen of the Countries other than India who are not of Indian origin as defined under OCI.

- Clause 2.37 shall stand amended and substituted by the following clause :

  2.37 "Open and Distance Learning (ODL)"/ Online Learning (OL) mode means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming separation of teacher and learner using a variety of media, including print, electronic, MOOCs, online and occasional interactive face-to-face meetings arranged by an Institution through Learner Support Services to deliver teaching-learning experience, including hands-on work experience".

- Clause 2.53 shall stand amended and substituted by the following clause :

  2.53 "Supernumerary seats" includes TFW, OCI/ Foreign Nationals/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries, Lateral Entry, PwD, J&K PMSSS and any other seats as notified from time to time, over and above the "Approved Intake".

- Clause 3.1(a) shall stand amended and substituted by the following clause:

  3.1(a) New Technical Institutions (except Architecture and Pharmacy) either by Government/ Government aided or Self-financing Institutions shall be started ONLY after obtaining approval of the Council.

- Clause 3.1(g) shall stand amended and substituted by the following clause:

  3.1(g) Existing Standalone Institutions/ Institutions Deemed to be Universities shall either conduct/ increase/ reduce the intake in the Open and Distance Learning/ Online Learning Programmes/ Courses or introduce Programmes/ Courses at any Level ONLY after obtaining approval of the Council.

- Clause 3.2 (b) shall stand amended and substituted by the following clause:

  3.2 (b) Under Graduate Degree Courses with Minor Degree / Hons. in Emerging/ Multidisciplinary Areas shall be allowed as specified in the Approval Process Handbook from time to time.

- Clause 3.2(c) to be repealed

- Clause 4.1(a), 4.2 and 6.6 (e) of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following:

  "Ministry of HRD" and "MHRD" may be read as "Ministry of Education (MoE)"

- Clause 4.3 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following:

  "AICTE does not recognize the Programme(s)/ Course(s) in Technical Education offered through distance mode or online mode except in Management, Computer Applications and Travel and Tourism, AI and Data Science, and Logistics".

- Clause 4.6 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following:

  4.6 (a) Fifteen percent (15%) supernumerary seats over and above the "Approved Intake" per Course shall be approved in AICTE approved Institutions and University Departments, for admitting students from Foreign Nationals/ Overseas Citizen of India (OCI)/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries. One third (1/3rd) of these 15% seats shall be reserved for the Children of Indian Workers in the Gulf Countries.

  Any vacant seat in a given Course, out of 1/3rd seats reserved for Children of Indian Workers in the Gulf Countries shall be reverted to the seats of 2/3rd meant for OCI/ Foreign Nationals and vice-versa. Further, any vacant seat in the "Foreign Nationals/ Overseas Citizen of India (OCI)/ Children of Indian Workers in Gulf Countries" after the last round of the admission of the concerned State Government/ UT may be filled with NRI seats, subject to the approval from AICTE for the NRI seats and fulfillment of requisite norms as specified in the Approval Process Handbook.

  Beside this, any vacant seat in the "Approved Intake" after the last round of the admission of the concerned State Government/ UT, may be filled with NRI/ Foreign Nationals/ Overseas Citizen of India (OCI)/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries, subject to the approval from AICTE for the above seats and fulfillment of requisite norms as specified in the Approval Process Handbook.

  4.6(b) The Council shall permit the Introduction/ Continuation of NRI/ OCI/FN/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries seats ONLY in the **Regular Shift.**

- Clause 4.7(b) shall stand amended and substituted by the following clause:

  4.7(b) "Lateral Entry to Second Year Under Graduate Degree Course in Engineering and Technology Programme shall be permissible up to a maximum of 10% of the "Approved Intake" which shall be over and above, supernumerary to the "Approved Intake", plus the unfilled vacancies of the First year as specified in the Approval Process Handbook".

- Clause 4.7(f) to be repealed

- Clause 4.13 shall stand amended and substituted by the following clause:

  4.13 "The Council shall not permit the conduct of PGDM/PGCM Courses along with any other Programs/Courses affiliated to University/Board in the same Institution".

  Further, Universities seeking approval of a technical program from AICTE shall mandatorily take approval of ALL technical program(s)/course(s) under the purview of AICTE. NO partial approval shall be granted. If it is noticed that a university/ deemed to be university has taken such partial approval, violating the clause, entire approval shall be withdrawn and penal action taken.

- Clause 4.14 (first para) shall stand amended and substituted by the following:

  4.14 In general, the teaching learning process shall take place either in a Regular Mode in the form of "face to face" class room or "Open and Distance Learning/Online Learning" Mode by providing flexible learning environment using a print, electronic, MOOCs, online and occasional interactive face-to-face meetings.

- Clause 4.16 shall stand amended and substituted by the following clause:

  4.16 "An Institution can only allow up to 40% of the total Courses being offered in a particular Programme in a Semester through the Online Learning Courses provided through SWAYAM platform as per the AICTE (Credit Framework for online learning courses through SWAYAM) Regulations, 2016 and as amended from time to time."

- Clause 5.6(a) shall stand amended and substituted by the following clause:

  The Applicant for setting up a New Technical Institution shall obtain a unique USER ID following the procedure specified in the Approval Process Handbook.

  The Applicants/ existing Institutions shall be required to submit online application with Digital Signature Certificate (DSC) for the cases listed in Clauses 1.2 of these Regulations using their unique USER ID allotted to them by remitting the prescribed Technical Education Regulatory (TER) Charges as specified in the Approval Process Handbook through AICTE's payment gateway on the Web-Portal, failing which the application shall not be considered.

- Clause 6.2 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

  6.2 For setting up a new Technical Institution:

  a) The State Government/ UT and the Affiliating University/ Board shall forward their views on the applications received under Clause 1.2.(a) of these Regulations to the concerned Regional Office, not later than one week from the last date of submission of application as notified.

     In the absence of the receipt of views from the State Government/ UT/ Affiliating University/ Board on the application, the Council shall proceed for further processing.

  b) The applications received under Clause 1.2. (a) of these Regulations, shall be processed by a Scrutiny Committee/ Re-Scrutiny Committee duly formed by the Regional Officer as per the composition as specified in the Approval Process Handbook.

  c) In case of "Nil Deficiencies" at Scrutiny/Re-Scrutiny level, the same shall be processed further by an Expert Visit Committee formed by the Regional Officer as per the composition as specified in the Approval Process Handbook and shall verify Physically / Online the availability of infrastructural facilities of the Institution.

  d) The recommendations of the Expert Visit Committee shall be placed before the Regional Committee for its recommendations and further placed before the Executive Committee for approval or otherwise.

  e) Regional Officer concerned while forwarding the recommendations of the Regional Committee to Approval Bureau of AICTE, for placing before the Executive Committee, shall verify that the processes and parameters prescribed under these Regulations and Approval Process Handbook are followed by the Scrutiny/ Re-Scrutiny Committee and Expert Visit Committee (as applicable) and the Regional Committee.

     The Approval Bureau of AICTE shall also verify that the processes and parameters prescribed under these Regulations and Approval Process Handbook are followed by the Scrutiny/ Re-Scrutiny Committee and Expert Visit Committee (as applicable) and the Regional Committee.

  f) The decision of the Executive Committee shall be uploaded on the Web-Portal in the form of a Letter of Approval (LoA) or Letter of Rejection (LoR) with the specific reasons for rejection of the application.

g) Applicants for starting new Technical Institution other than Government/ Government aided Institutions whose applications are recommended for Letter of Approval (LoA) by the Executive Committee shall be informed for the creation of Security Deposit.

The existing Institutions (approved by the other Regulatory Bodies), applying for the first time to the Council for approval and are in existence for more than 10 years are exempted from the payment of Security Deposit.

The Applicant shall submit the payment proof of the Security Deposit along with an Affidavit within 15 days from the date of intimation to the concerned Regional Office, else a penalty of 10% and 50% of the value of the Security Deposit shall be imposed up to 31st May and 31st July of the Calendar Year respectively, beyond which the approval shall be withdrawn.

h) The online Security Deposit amount created by the Technical Institution with AICTE shall be permitted to be withdrawn after a term of 10 years or in case of the Closure of the Programme/ Institution, subject to the submission of relevant documents. The interest accrued on the Security Deposit shall be credited to the Council and shall be utilized by AICTE for Institutional Development activities, Quality Improvement Programmes for Faculty and giving scholarships to students etc. However, the term of the Security Deposit could be extended for a further period as may be decided on case to case basis and/or forfeited in case of any violation of norms, conditions and requirements and/or Non-performance by the Institution and/or complaints against the Institution.

i) Validity of the Letter of Approval for the new Technical Institutions, if issued, shall be for two Academic Years from the date of issue of Letter of Approval, only for obtaining affiliation from the respective University/ Board and fulfilling State Government/ UT requirements for admission in the current Academic Year.

ALL the Applicants issued LoA for starting the new Technical Institutions shall apply on AICTE Web-Portal for Extension of Approval as specified in the Approval Process Handbook from the next Academic Year onwards, irrespective of the admission of the students or otherwise.

On expiry of the validity of two Academic Years, the LoA issued stands cancelled, if no students were admitted in the Institution and the Applicant shall make a fresh application for the issuance of Letter of Approval.

j) New Technical Institutions granted Letter of Approval and existing Institutions granted approval for introduction of new Course(s), Division(s), Programme(s), variation in intake capacity shall comply with appointment of Faculty and Principal/ Director as the case may be, as per the policy of the Council.

Institutions other than Minority Institutions shall appoint Faculty/ Principal/ Director and other technical supporting staff and administrative staff strictly in accordance with the methods and procedures of the concerned Affiliating University/ Board/ State Government/ UT particularly in case of selection procedures and Selection Committees.

The information about these appointments of staff in the prescribed format shall be uploaded on the Web-Portal of AICTE.

k) An Expert Visit Committee may be conducted any time before the first batch of students have passed out, to verify the fulfillment of the norms as specified in the Approval Process Handbook.

l) All the online applications (including enclosures) should be Digitally Signed (using Digital Signature Certificate - DSC) wherever applicable and submitted on AICTE Web-Portal on or before the last date as notified in the Public Notice /AICTE web-portal.

All the Scrutiny / Re-Scrutiny and EVC shall be conducted in online mode. Under extraordinary circumstances (including Court directions) the Scrutiny / Re-Scrutiny and EVC shall be conducted in Offline mode also. All the proceedings of Scrutiny /Re-Scrutiny / EVC shall be recorded to ensure Transparency and Accountability.

- Clause 6.3(f) of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

  6.3(f) Institutions shall be eligible for new Course(s)/ expansion of existing Course(s), equal to the number of valid NBA accredited Course(s), limited to a maximum of FOUR within the definition of Division/ Programme/ Level.

  Increase in Intake/ Additional Course in Diploma/ Under Graduate Degree/ Post Graduate Degree Level in Engineering and Technology shall be permissible only in EMERGING/ MULTIDICIPLINARY AREAS.

- Clause 6.3(j) of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

  6.3(j) The existing Institutions having total "Approved Intake" exceeding the "Maximum Intake Allowed" seeking for approval for Increase in Intake/ Additional Course(s) (without NBA accreditation) in the same Level in the same Programme (Diploma/ Under Graduate/ MCA/ Management) shall have to apply for the Closure of Course(s) as per the Procedure and shall apply for increase in Intake/ Additional Course(s) in lieu of the same, without exceeding the total "Approved Intake" as well as the number of Courses/ Divisions as specified in the Approval Process Handbook, subject to "Zero Deficiency" based on Self-Disclosure on AICTE Web-Portal.

  Increase in Intake/ Additional Course in Diploma/Under Graduate Degree/ Post Graduate Degree Level in Engineering and Technology shall be permissible only in EMERGING/MULTIDICIPLINARY AREAS.

  Further, in line with the new National Education Policy-2020, the institutions having accredited programmes shall be permitted additional division (30 or 60 seats) in Indian language in the accredited programme over and above the facility to expand in new Emerging/Multidisciplinary Areas against each accredited program.

- Clause 6.3(l) to be repealed

- Clause 6.6 (b) of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

  6.6(b) Universities shall also submit applications for other Categories in Clause 1.2 of these Regulations. The requirements, eligibility and procedure shall be as per the concerned Clauses of the Approval Process Handbook. However, Expert Visit Committee for the Introduction of supernumerary seats for OCI/Foreign Nationals/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries for Category I/ II Universities shall be exempted.

- Clause 6.6 (d) of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

  6.6(d) Institutions Deemed to be Universities offering Technical Programme(s) approved by the Council, falling under Category I/ II as declared by UGC shall have to submit an application to the Council indicating the increase in Intake in the Courses / New Course(s) in emerging /multidisciplinary areas. The Council shall be granting approval to those Courses. However, such Universities shall have to update the data in AICTE Web-Portal on annual basis and comply the norms and standards as specified by AICTE from time to time. The University shall annually submit Affidavit to AICTE and UGC to this effect. If any complaints are received about the violation of norms, AICTE shall inspect the University and inform the UGC to take appropriate action. In case of Institution Deemed to be University, the action as specified in the Approval Process Handbook shall be initiated and informed to the UGC.

- Clause 6.7 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

  6.7 Open and Distance Learning /Online Learning Mode

  The applications submitted by the Standalone Institutions/ Institutions Deemed to be Universities for conducting Courses in Open and Distance Learning / Online Learning mode shall be processed as per the norms and procedure specified in the Approval Process

Handbook and Regulations issued on the subject by UGC/AICTE from time to time. Further, the Institutions shall submit the application to the Council every year for the Extension of Approval of the Courses/ Increase in Approved Intake in the Courses/ Introduction of new Courses/ Closure of Courses in Open and Distance Learning/ Online Learning mode.

- Clause 6.10 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

  6.10 The Council shall normally not grant any conditional approval to any Institution.

- Clause 11.6 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

  11.6 Each Institution shall have a Plagiarism Software to check the integrity of the work of the Students and Faculty by ensuring that all content is original and unique.

- Clause 17 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

  17. Conduct of any other Academic Courses (Technical/Non-Technical)

  The Institutions may conduct Academic Courses (Technical/ Non-Technical of any other Regulatory Body) using the existing facilities in excess or by creating additional facilities as per the provisions laid down in the norms and standards of the respective Regulatory Body without affecting the quality of education prescribed by all the Regulatory Bodies after taking NOC from the Council following the procedure specified in the Approval Process Handbook. However, the Applicant has to make Material/ Non-Material amendment of the Building Plan, Site Plan, etc. approved by the concerned Competent Authority (if applicable) to suit the requirements of the new Programme/ Level.

  The total land required shall be the highest amongst the programs/ levels being offered by the Institute. However, institute shall have sufficient built up area to cover all the requirements of ALL the programs/ levels conducted as per the provisions of Approval Process Handbook.

  However, the institute shall provide ample space for play-ground (owned or hired) facilities for indoor and outdoor sports for the students either in the Campus or through arrangements with other adjacent Institutions, Corporation grounds, private facilities, etc.

Prof. RAJIVE KUMAR, Member Secretar

[ADVT.-III/4/Exty./519/2020]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.02.25 22:41:35 +05'30'